राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 711वी बैठक दिनांक 09.03.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 711वी बैठक दिनांक 09.03.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8989 / 2019	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8979 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	8988 / 2022	1(a) B2	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	8984 / 2022	1(a) B2	पत्थर एवं एम–सेंड	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9003 / 2022	1(a) B2	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
6.	9006 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	8823 / 2021	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	8567 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	8418 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	8980 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	8991 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8986 / 2022	1(a) B2	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	8987 / 2022	1(a) B2	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	8997 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	8999 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
16.	9000 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9005 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
18.	9008 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	8981 / 2022	1(a) B2	पत्थर एवं एम–सेंड	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9007 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
21.	**नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण एवं अनुमोदन – माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों की परिपालन कार्यवाही**				
22.	8821 / 2021	1(a) B2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	8185 / 2021	1(a) B1	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	8186 / 2021	1(a) B1	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

25.	646/2011	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
26.	7245/2020	1(a) B2	लैटेराईट खदान	—	Relist
27.	8849/2021	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
28.	8720/2021	1(a) B1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
29.	9031/2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
30.	8872/2021	1(a) B2	पत्थर खदान	—	निर्णय यथावत
31.	8810/2021	1(a) B2	पत्थर खदान	—	निर्णय यथावत
32.	8806/2021	1(a) B2	पत्थर खदान	—	निर्णय यथावत
33.	6662/2020	1(a) B2	फर्शी पत्थर खदान	—	निरस्त

1. **प्रकरण कमांक 8989/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्री कपूर सिंह गुर्जर आत्मज श्री हाकिम सिंह गुर्जर, निवासी नैनागढ़ रोड़, छात्रावास के पीछे, सिद्ध नगर, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3000, 3001, 3002, 3190, रकबा 03.250 हेक्टेयर, ग्राम धनेला, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3900 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम धनेला के शासकीय माध्यमिक स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, मुख्य द्वार की स्थापना व रंग रोगन का कार्य जाये।
- ग्राम पंचायत धनेला के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरंात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री कपूर सिंह गुर्जर आत्मज श्री हाकिम सिंह गुर्जर, निवासी नैनागढ़ रोड़, छात्रावास के पीछे, सिद्ध नगर, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3000, 3001, 3002, 3190, रकबा 03.250 हेक्टेयर, ग्राम धनेला, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का आदेश क. 39 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.02.2029 तक मान्य रहेगी।

2. प्रकरण कमांक 8979/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश तिवारी आत्मज श्री चन्द्र मोहन तिवारी, निवासी 34/13 सुभाष मार्ग, घोघर, तहसील – हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,002 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 575, रकबा 01.00 हेक्टेयर, ग्राम मरहा, तहसील – हुजूर, जिला – रीवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजातियों एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
- ग्राम मरहा की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 1.5 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम पंचायत मरहा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश तिवारी आत्मज श्री चन्द्र मोहन तिवारी, निवासी 34/13 सुभाष मार्ग, घोघर, तहसील – हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,002 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 575, रकबा 01.00 हेक्टेयर, ग्राम मरहा, तहसील – हुजूर, जिला – रीवा (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का पत्र क. 5535 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार 10 वर्ष की

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.02.2031 तक मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण कमांक 8988/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री सुलेमान खान आत्मज श्री निवाज़ खान, निवासी ग्राम अकबरपुर मेव, पोस्ट खोहरी वहया सीकरी, जिला भरतपुर (राजस्थान) फर्शी पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8,160 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 75/1, रकबा 3.315 हेक्टेयर, ग्राम करहोद, तहसील एवं जिला – रायसेन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4000 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम करहोद के माध्यमिक स्कूल में सीढ़ियों में रेलिंग लगवाई जाये एवं 35 टेबिल व कुर्सी का सेट प्रदान किया जाये।
- ग्राम पंचायत करहोद के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सुलेमान खान आत्मज श्री निवाज़ खान, निवासी ग्राम अकबरपुर मेव, पोस्ट खोहरी वहया सीकरी, जिला भरतपुर (राजस्थान) फर्शी पत्थर, उत्पादन क्षमता 8,160 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 75/1, रकबा 3.315 हेक्टेयर, ग्राम करहोद, तहसील एवं जिला – रायसेन (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, जिला भोपाल का पत्र क. 16361 दिनांक 02.12.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.12.2031 तक मान्य रहेगी।

4. **प्रकरण कमांक 8984/2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एल.सी.सी प्रोजेक्ट प्राईवेट लि.मि. प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एल.पी. तिवारी, विक्रम नगर, अम्बली भोपाल रोड, जिला अहमदावाद (गुजरात) पत्थर एवं एम–सेंड, **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**, उत्पादन क्षमता पत्थर 32,908 एवं एम–सेंड 13,633 **घनमीटर प्रतिवर्ष** (स्टोन एण्ड एम–सेंड–46,541 घनमीटर प्रतिवर्ष), खसरा नं. 24 भाग, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम कोटरा, तहसील बंडा, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम कोटरा के प्राथमिक स्कूल में पक्के चबूतरा व बांउन्ड्रीवॉल का निर्माण, स्कूल साईन बोर्ड, झूलों व वाटॅर फिल्टर की स्थापना तथा 25 बेंच व 10 कुर्सी प्रदान किया जाये।
- ग्राम पंचायत कोटरा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एल.सी.सी प्रोजेक्ट प्राईवेट लि.मि. प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री एल.पी. तिवारी, विक्रम नगर, अम्बली भोपाल रोड, जिला अहमदावाद (गुजरात) पत्थर एवं एम–सेंड, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 32,908 एवं एम–सेंड 13,633 घनमीटर प्रतिवर्ष (स्टोन एण्ड एम–सेंड–46,541 घनमीटर प्रतिवर्ष), खसरा नं. 24 भाग, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम कोटरा, तहसील बंडा, जिला सागर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर का पत्र क. 28 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा दिनांक 26.07.2021 से 12.12.2023 तक की अवधि हेतु अस्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.12.2023 तक मान्य रहेगी।

5. प्रकरण कमांक 9003/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री भरत सिंह आत्मज श्री शोभरन सिंह, निवासी ग्राम लोंदूपुरा, जाखोदा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9,720 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 963, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम जाखोदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 10033 दिनांक 20.01.2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नही होना दर्शित है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कई अन्य खदान होना परिलक्षित है, जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों क़ी अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

6. **प्रकरण कमांक 9006/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता अग्निहोत्री पति श्री राजवीर अग्निहोत्री, निवासी 124, वीना स्कूल के पास, ग्राम जौरी पोस्ट, जौराखुर्द, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9,120 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3009, 3010, रकबा 01.412 हेक्टेयर, ग्राम धनेला, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**
II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की रोड़ से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1700 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम धनेला के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की सम्पूर्ण मरम्मत का कार्य किया जाये एवं बेंच व कुर्सी प्रदान किया जाये।
- ग्राम पंचायत धनेला के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता अग्निहोत्री पति श्री राजवीर अग्निहोत्री, निवासी 124, वीना स्कूल के पास, ग्राम जौरी पोस्ट, जौराखुर्द, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9,120 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 3009, 3010, रकबा 01.412 हेक्टेयर, ग्राम धनेला, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क. 1020 दिनांक 13.08. 2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.08.2031 तक मान्य रहेगी।

7. **प्रकरण कमांक 8823/2021** – परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पंवार आत्मज श्री दयाराम पंवार, निवासी 82 क, ग्राम बरडिया राठौर, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10088 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 146, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम मीनाखेड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।**

III. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मंजानपुर की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम पंचायत मंजानपुर के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पंवार आत्मज श्री दयाराम पंवार, निवासी 82 क, ग्राम बरडिया राठौर, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10088 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 146, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम मीनाखेड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम का आदेश क. 1499 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.05.2028 तक मान्य रहेगी।

8. **प्रकरण कमांक 8567/2021** – परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री लक्ष्मी नारायण परमार, निवासी न्यू आमपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2186, 2187, 2198, 2199, रकबा 1.612 हेक्टेयर, ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल जिला ग्वालियर के पत्र क्र. 9295 दिनांक 13.11.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर द्वारा का आदेश क. 21 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.415 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.74 केएलडी हरित पट्टी विकास + 1.15 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.45 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2300 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 29.12.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत बिल्हेटी जिला ग्वालियर में अपर कलेक्टर, ग्वालियर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2300 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बिल्हेटी के शासकीय स्कूल के शौचालय की सम्पूर्ण मरम्मत (फर्श एवं दीवार में टाईलस फिटिंग) एवं पानी की उचित चैनलाईजेसन सिस्टम के साथ 2000 लीटर के ओवर हैंड टैंक की स्थापना किया जाये।
- ग्राम पंचायत बिल्हेटी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।
- खदान श्रमिकों को उज्जवला योजना के तहत 10 सौलर कूकर/गैस सिलेण्डर वितरित किये जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बिल्हेटी के ग्रामवासियों के लिये प्रमाणित चिकित्सक द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री लक्ष्मी नारायण परमार, निवासी न्यू आमपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2186, 2187, 2198, 2199, रकबा 1.612 हेक्टेयर, ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर द्वारा का आदेश क. 21 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.01.2031 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. प्रकरण कमांक 8418/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वेदिका स्टोन क्रेशर एंड कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर, श्री जय सिंह आत्मज श्री अवधराज सिंह, शिवम नगर, रीवा रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 906, 907, 908, 909, रकबा 2.508 हेक्टेयर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण **के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल जिला सतना के पत्र क्र. 9244 दिनांक 25.09.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला भोपाल द्वारा का आदेश क. 5439 दिनांक 22.06.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.277 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.622 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.5 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.155 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 3010 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 13.10.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम बठिया तहसील मैहर, जिला सतना में अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3010 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बठिया की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 1 वर्ष तक वहन की जाये।
- खदान श्रमिकों को उज्जवला योजना के तहत 10 सौलर कूकर/गैस सिलेण्डर वितरित किये जाये।
- ग्राम पंचायत बठिया के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वेदिका स्टोन क्रेशर एंड कन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर, श्री जय सिहं आत्मज श्री अवधराज सिंह, शिवम नगर, रीवा रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 906, 907, 908, 909, रकबा 2.508 हेक्टेयर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला भोपाल द्वारा का आदेश क्र. 5439 दिनांक 22.06.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.06.2030 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्रमांक 8980/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र श्रोती आत्मज श्री कल्याण श्रोती, निवासी मकान नं. 13, चेतकपुरी लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 47,025 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2082, रकबा 2.332 हेक्टेयर, ग्राम दौरॅर, तहसील घाटीगांव, जिला–ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2800 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम दौरॉर की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम पंचायत दौरॉर के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र श्रोती आत्मज श्री कल्याण श्रोती, निवासी मकान नं. 13, चेतकपुरी लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 47,025 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2082, रकबा 2.332 हेक्टेयर, ग्राम दौरॉर, तहसील घाटीगांव, जिला–ग्वालियर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला भोपाल का आदेश क. 15581 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.11.2031 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण कमांक 8991/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार किरार आत्मज श्री देव सिहं किरार, निवासी ग्राम मैथाना, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 52,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 310, रकबा 1.698 हेक्टेयर, मैथाना, तहसील – मुरार, जिला – ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **शेड से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2100 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मैथाना की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम पंचायत मैथाना के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार किरार आत्मज श्री देव सिहं किरार, निवासी ग्राम मैथाना, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 52,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 310, रकबा 1.698 हेक्टेयर, मैथाना, तहसील – मुरार, जिला – ग्वालियर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला भोपाल का आदेश क. 606 दिनांक 11.01.2022 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.01. 2032 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. **प्रकरण कमांक 8986/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अंकित शर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शहर मुरैना, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 268, 269, 270, 271, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम राजपुरा जागीर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।
III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 02 मीटर से गहराई तक अधिक खनन कार्य नहीं किया जायेगा एवं खनन पट्टे में चिमनी का निर्माण/स्थापना नहीं की जाये।
IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   - ग्राम राजपुरा जागीर की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम पंचायत राजपुरा जागीर के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री अंकित शर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शहर मुरैना, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 268, 269, 270, 271, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम राजपुरा जागीर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क. 513 दिनांक 14.08.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.08.2030 तक मान्य रहेगी।

13. **प्रकरण कमांक 8987/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजू शर्मा पति श्री बालकृष्ण शर्मा, निवासी चौधरी वेयर हाऊस, ग्राम बडफरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.) मिट्टी खदान **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**, उत्पादन क्षमता 1,995 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 92, 94, 103, 105, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम पुरावासखुर्द, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।
II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 02 मीटर से गहराई तक अधिक खनन कार्य नहीं किया जायेगा एवं खनन पट्टे में चिमनी का निर्माण/स्थापना नहीं की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
- ग्राम पुरावासखुर्द की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 05 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम पंचायत पुरावासखुर्द के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजू शर्मा पति श्री बालकृष्ण शर्मा, निवासी चौधरी वेयर हाऊस, ग्राम बडफरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.) मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,995 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 92, 94, 103, 105, रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम पुरावासखुर्द, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क्र. 1402 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.11.2031 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्रमांक 8997/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. इन्फ्रा, पार्टनर, श्री परेश खण्डेलवाल, निवासी ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2479/4/1, 2479/4/2, 2479/4/3, 2479/3, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 1120 दिनांक 14.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है, जिसका कुल रकबा 3.0 हेक्टेयर है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 ओर अन्य खदान का होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है। जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर आगर मालवा के माध्यम से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

15. **प्रकरण कमांक 8999/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव पति श्री विनीत यादव, निवासी भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 8,512 एवं सेलेबिल ओवरवर्डन 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 2380 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं होना दर्शित है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कई अन्य खदान का होना परिलक्षित है, जिसमें पूर्व से ही उत्खनन का कार्य किया गया है। जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा 07 दिवस में प्रकरण का परीक्षण कर पुनः अनुशंसित किया जाये, तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण कमांक 9000/2022 – **परियोजना प्रस्तावक** श्री संजय अग्रवाल आत्मज श्री मोतीलाल अग्रवाल, निवासी पीपल चौक, नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8,820 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 368/1क, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भानपुरा, नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. प्रस्तावित खदान के पश्चिम दिशा में मौजूदा हरित क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा एवं उसको नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जायेगा।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   - ग्राम भानपुरा की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 05 वर्ष तक वहन की जाये।
   - ग्राम पंचायत भानपुरा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री संजय अग्रवाल आत्मज श्री मोतीलाल अग्रवाल, निवासी पीपल चौक, नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8,820 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 368/1क, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भानपुरा, नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, जिला भोपाल का आदेश क. 17442 दिनांक 11.09.2017 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.09.2017 तक मान्य रहेगी।

17. प्रकरण कमांक 9005/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मारूती इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री सूर्यप्रकाश चौरसिया, निवासी वल्लभ नगर, सतना रोड़ मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 59,375 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 53, 75/2, रकबा 1.892 हेक्टेयर, ग्राम सिलौटी, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 3103 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है, जिसका कुल रकबा 3.077 हेक्टेयर है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार 01 ओर अन्य खदान का होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है। जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर सतना के माध्यम से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18. प्रकरण कमांक 9008/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक कुमार द्विवेदी आत्मज श्री इन्द्रमणी प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम सुमेदा, पोस्ट बेहरा, जिला रीवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 49/6, 48/5, 47/3, 49/7, 47/2, 47/4, 48/3, 48/6, 49/8, रकबा 01.439 हेक्टेयर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला – रीवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1800 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम करियारीटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल की सम्पूर्ण बिल्डिंग की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पंचायत करियारीटोला के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक कुमार द्विवेदी आत्मज श्री इन्द्रमणी प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम सुमेदा, पोस्ट बेहरा, जिला रीवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

49/6, 48/5, 47/3, 49/7, 47/2, 47/4, 48/3, 48/6, 49/8, रकबा 01.439 हेक्टेयर, ग्राम सुमेदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा का पत्र क. 5315 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.12.2030 तक मान्य रहेगी।

19. **प्रकरण कमांक 8981/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रतिभा जैन पति श्री अंकित जैन, निवासी प्रधानपुरा कोतवांली के पीछे, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम–सेंड 70,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 195/6/मिन–1, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम मगरई, तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं काटा जायेगा एवं 02 वृक्षों को काटने के एवज में 20 वृक्षों का रोपण किया जायेगा।**
II. **खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक सामग्री का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।**
III. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
    - ग्राम मगरई के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर, 05 लकड़ी की टेबिल एवं कुर्सी प्रदान किया जाये।
    - ग्राम मगरई के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रतिभा जैन पति श्री अंकित जैन, निवासी प्रधानपुरा कोतवाली के पीछे, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम–सेंड 70,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 195/6/मिन–1, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम मगरई, तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ का पत्र क. 1861 दिनांक 22.07.2021 एवं पत्र क्र. 2010 दिनांक 09.09.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.07.2031 तक मान्य रहेगी।

20. **प्रकरण कमांक 9007/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री तरनजीत सिंह बेदी आत्मज स्व. श्री अमरजीत सिहं बेदी, निवासी श्याम टाकीज, तहसील एवं जिला छिंदवाडा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 49,379 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 364/2, रकबा 3.744 हेक्टेयर, ग्राम भानदेही, तहसील एवं जिला छिंदवाडा ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 5711 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.236 हेक्टेयर होना दर्शित है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कुछ ओर अन्य खदान होना परिलक्षित है, जिससे कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक हो रहा है, जिसके कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

21. नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन बावत् :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 (www.moef.gov.in पर उपलब्ध) के परिपेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 व आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला मजिस्ट्रेट, जिला – रतलाम, अलीराजपुर, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, रायसेन, बालाघाट एवं धार जिलों की **नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु** SEAC की 555 वी बैठक दिनां 24.02.22 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 (www.moef.gov.in पर उपलब्ध) के परिपेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 व आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला मजिस्ट्रेट, जिला – रतलाम, अलीराजपुर, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, रायसेन, बालाघाट एवं धार जिलों की अनुशंसा उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई, एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (सिया) ने पत्र कमांक 3095 दिनांक 17/02/22 एवं पत्र कमांक 3101 दिनांक 17/02/22 के माध्यम से 06 जिलों (रतलाम, अलीराजपुर, छतरपुर, पन्ना, रायसेन एवं सिंगरौली) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 21/02/22 को प्रेषित की गई थी तथा उनसे सुझाव दिनांक 23/02/22 तक चाहे गये थे। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23/02/22 तथा दिनांक 24/02/22 में इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि प्राप्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार कुछ बिंदुओं पर जानकारियॉं आंशिक रूप से दी गई है एवं कुछ बिंदुओं पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.		***Shortcommings***
1.	*Introduction*	*Given*
2.	*Overview of Mining Activity in the District*	*Given*
3.	*List of Proposed Sand ghats*	*Given*
4.	*Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Years*	*No records*
5.	*Details of Production of Sand or Minor Mineral in Last Three Years.*	*No records except Chhatarpur and Singrauli*
6.	*Replenishment Report /Process of Deposition of*	*Replenishment study not done only official*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	Sediments in the Rivers of the District	old records have been placed.
7.	General Profile of the District	Given
8.	Land Utilization Pattern in the District: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.	Given
9.	Physiographic division of the District	Given
10.	Rainfall: Month-Wise	Annual rainfall Given Month wise data missing
11.	Geology and Mineral Wealth	Covered
12.	Drainage and irrigation pattern	Covered
13.	Land utilization pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc	Partly covered
14.	Surface water and ground water scenario	Covered
15.	Rainfall of the district and climatic conditions	Covered
16.	Details of existing leases	Covered
17.	Details of royalty or revenue received in last three years	Not given
18.	Details of production of sand or minor minerals	Covered
19.	Mineral map of the district	Partly covered
20.	List of letter of intent holders	Not given
21.	Total mineral reserves available in the district	Partly covered
22.	Quality/Grade of mineral available in the district	Partly covered
23.	Use of Mineral	Partly covered
24.	Demand and supply of the mineral in last three years	Not given
25.	Mining lease marked on the district map	Partly covered
26.	Details of the area of where there is a cluster of mining lease viz no. of mining lease location	Partly covered
27.	Details of Eco-Sensitive zone	Partly covered
28.	Impact on the environment due to mining activity	Covered
29.	Remedial measures to mitigate the impact of mining on the environment	Partly covered
30.	Reclamation	Not given
31.	Risk assessment and disaster management plan	Partly covered
32.	Occupational health issue in the district	Not given
33.	Plantation and greenbelt development in respect of lease already granted in the district	Not given
34.	Any Other Information	Not given

अतः समिति का मत है कि सभी डी.एस.आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना (दिनांक 25/7/18) के अपेंडिक्स–10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर, सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग, 2020 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 22/02/2022 के अनुसार बनाई जाना चाहिए तथा प्रारूप डी.एस.आर. पब्लिक, जिले की वेबसाईट एवं कार्यालय में रखकर प्राप्त सुझावो को रिर्पाट में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार समिति ने यह अनुशंसा करती है कि उपरोक्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वांछित सुधार हेतु सिया की ओर अग्रेषित कर दिये जाये तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को निर्देशित किया जाये कि प्रदेश की सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अपेंडिक्स–10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर, सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग, 2020 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ही बनाई जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उपरोक्त अनुशंसा को मान्य करते हुये प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार उपरांत सर्व सहमति से निम्न अनुसार कार्यवाही निर्णित की गई:–

1. जिला रायसेन, छतरपुर, पन्ना, अलीराजपुर, सिंगरौली, रतलाम के जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का SEAC द्वारा 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप विस्तृत परीक्षण उपरांत के कार्यवाही विवरण में दिये गये सुझावों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना अनुशंसित किया गया है। SEAC की उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण परिवेश पोर्टल एवं MP-SEIAA की बेवसाईट पर उपलब्ध है। उपरोक्त अनुशंसित कार्यवाही के परिपालन के साथ ही शेष सभी जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी SEAC द्वारा दिये गये उक्त सुझावों को अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं माननीय उच्चतम न्यायालय (अपील नं. 3661/2020) द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, परीक्षण करने एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के संबंध में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रारूप के तकनीकी परीक्षण के लिये सभी संबंधित कलेक्टरों को उपसंभाग स्तरीय समिति (Sub Divisional Committe) के गठन हेतु यथाशीघ्र दिशा निर्देश दिये जायें। उक्त गठित समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के माध्यम से परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु SEIAA/SEAC को अनुशंसित की जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति जन सामान्य के सुझाव 21 दिवस की अवधि में प्राप्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय की बेवसाईट पर दर्शित की जाये एवं निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों को आवश्यक होने पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर उक्त बिन्दु क्र. 2 के अनुसार गठित उपसंभाग स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर/संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के माध्यम से SEIAA व SEAC को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।
4. माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार रेत खनन के प्रकरणों में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप शासन/जिला स्तर पर जारी निविदा/आशय पत्र (LOI) में प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता का भी अनिवार्यतः उल्लेख किया जाये एवं अनुमोदित खनन योजना में उक्त उत्पादन क्षमता से अधिक की स्वीकृत ना की जाये। तदानुसार ही SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में उत्पादन क्षमता का उल्लेख किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा समस्त खनिज अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये जायें कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिले में रेत की अद्यतन स्वीकृत, संचालित एवं प्रस्तावित समस्त खदानों की पूर्ण जानकारी का अनिवार्यतः समावेश किया जावें।

प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्णित कार्यवाही के परिपालन हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय, कार्यपालन संचालक मप्र. खनिज विकास निगम एवं समस्त जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये । सिया द्वारा रेत खनन के नवीन पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु आवेदित / SEIAA व SEAC में प्रक्रियाधीन समस्त प्रकरणों पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत ही निर्णय लिया जायेगा।

22. **प्रकरण कमांक 8821/2021** परियोजना प्रस्तावक श्री जालम यादव आत्मज श्री छोटेलाल यादव, निवासी, संतकबीर वार्ड, करीला, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा क्र. 01, ग्राम अमावनी, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 702वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में निर्णय लिया गया :-

> *........परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर* **Google Image** *अनुसार प्रस्तावित खदान के निकट बांध संरचना स्थित जलग्रहण क्षेत्र होना परिलक्षित है।*
>
> *अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, सागर से प्रस्तावित खदान के निकट बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।*

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 में प्रकरण का परीक्षण कर विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

I. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1800 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
   - ग्राम अमावनी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 01 कम्प्यूटर एवं 01 प्रिंटर, संगीत वाघ यंत्र, स्पोर्टस किट, स्टेशनरी एवं किताबें प्रदान की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम अमावनी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपंरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री जालम यादव आत्मज श्री छोटेलाल यादव, निवासी, संतकबीर वार्ड, करीला, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा क. 01, ग्राम अमावनी, तहसील व जिला सागर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला भोपाल का आदेश क. 8226 दिनांक 21.08.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.08. 2030 तक मान्य रहेगी।

23. **प्रकरण क्र. 8185/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल, निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.-3, स्कीम नं. 54, सी-21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)-452010 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 7600 से 300000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.773 हेक्टेयर, खसरा 160, 162, 203, 167, 168, 169, ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल धार के पत्र क्र. 1497 दिनांक 09.03.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा लीज अनुबंध दिनांक 09.01.2017 से 08.01.2067 (50 वर्ष) तक हेतु निष्पादित किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 166 किलो लीटर प्रतिदिन है (01 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 10 केएलडी हरित पट्टी विकास + 150 केएलडी धूल धमन + 05 केएलडी

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ड्रिलिंग हेतु), जिसकी पूर्ति खनिज गड्डे/सेटिलिंग टैंक में उपलब्ध पानी एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।

4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर उंचाई के तेज बढ़ने वाले घने छावदार, सदाबाहर कुल 7700 पेड लीज क्षेत्र के चारो ओर, बेरियर जोन एवं परिवहन मार्ग इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 20.08.2021 को लीज़ क्षेत्र ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार में अपर कलेक्टर, जिला धार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4300 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजातियों एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम घुरसल (घिरावदा), करोंदिया के 07 लड़के एवं 03 लड़कियों को आई.टी.आई मनावर से माईनिंग, मैट, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाये।
- ग्राम रताईटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की सम्पूर्ण मरम्मत, 01 किचिन शेड, 02 शौचालय के निर्माण का कार्य पानी की समुचित व्यवस्था, रेन वाटर हारवेसटिंग स्ट्रक्चर एवं 05 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम की स्थापना की जाये।
- ग्राम घुरसल में 01 किलो मीटर पक्का रोड़ का निर्माण किया जाये।
- कृषि विभाग के परामर्श से स्वः सहायता समूह के माध्यम से ग्रामवासियों के समूह को उन्नत कृषि एवं उत्पाद के विपणन (छोटा बाजरा) के विषय पर प्रोत्साहन कार्य एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
- ग्राम घुरसाल के ग्रामवासियों को 7000 पौधों का वितरण किया जाये।
- ग्राम अमावनी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल, निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.–3, स्कीम नं. 54, सी–21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 7600 से 300000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.773 हेक्टेयर, खसरा 160, 162, 203, 167, 168, 169, ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा लीज अनुबंध दिनांक 09.01.2017 से 08.01.2067 के अनुसार 50 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.01.2067 तक मान्य रहेगी।

24. **प्रकरण क्र. 8186/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल,निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.–3, स्कीम नं. 54, सी–21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010 (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 50000 से 300274 टन प्रतिवर्ष, रकबा 8.941 हेक्टेयर, खसरा 147/1, 247, 249 ग्राम घुरसल, तहसील गोदवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल धार के पत्र क्र. 1496 दिनांक 09.03.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा लीज अनुबंध दिनांक 24.12.2016 से 23.12.2066 (50 वर्ष) तक हेतु निष्पादित किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 136 किलो लीटर प्रतिदिन है (01 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 10 केएलडी हरित पट्टी विकास + 120 केएलडी धूल धमन + 05 केएलडी ड्रिलिंग हेतु), जिसकी पूर्ति खनिज गड्ढे/सेटिलिंग टैंक में उपलब्ध पानी एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर उंचाई के तेज बढ़ने वाले घने छावदार, सदाबहार कुल 12400 पेड लीज क्षेत्र के चारो ओर, बेरियर जोन एवं परिवहन मार्ग इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 28.08.2021 को लीज़ क्षेत्र ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार में अपर कलेक्टर, जिला धार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 12400 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजातियों एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   - ग्राम मगोद–मनावर रोड़ से रातातलाई ग्राम तक 7.5 मीटर चौड़ी 04 किमी पक्की सड़क का निर्माण किया जाये।
   - ग्राम घुरसल की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्टिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 5 वर्ष तक वहन की जाये।
   - ग्राम घुरसल के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।
   - कृषि विभाग के परामर्श से स्वः सहायता समूह के माध्यम से ग्रामवासियों के समूह को उन्नत कृषि एवं उत्पाद के विपणन (छोटा बाजरा) के विषय पर प्रोत्साहन कार्य एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
   - ग्राम घुरसाल के ग्रामवासियों को 1600 फलदार पौधों का वितरण किया जाये।
   - ग्राम घुरसाल के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्वता अनुसार किया जायें।

   साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा.लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल,निवासी 601,एरेन हाईट्स, पी.यू.–3, स्कीम नं. 54, सी–21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010 (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान(ओपनकास्टफुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 50000 से 300274

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

टन प्रतिवर्ष, रकबा 8.941 हेक्टेयर, खसरा 147/1, 247, 249 ग्राम घुरसल, तहसील गोदवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार द्वारा लीज अनुबंध दिनांक 24.12.2016 से 23.12.2066 के अनुसार 50 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.12.2066 तक मान्य रहेगी।**

25. प्रकरण क्र. 646/2011 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 द्वारा बंदरखा चूना पत्थर खदान, रकबा 40.236 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बंदरखा, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 40.236 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बंदरखा, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) की मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 को जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एस.ई.आई.ए.ए द्वारा पत्र क्र. 3080 दिनांक 20.08.2013 के माध्यम से मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए · है :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एस.ई.आई.ए.ए द्वारा पत्र क्र. 3080 दिनांक 20.08.2013 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 952 दिनांक 11.06.2020 (वैधता 06.04.2016 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप-धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एस.ई.आई.ए.ए द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. क्र. 3080 दिनांक 20.08.2013 मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)-500016 के नाम पर चूना पत्थर खदान, रकबा 40.236 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बंदरखा, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)-500016 के नाम पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.07.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

26. प्रकरण क्र. 7245/2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तनिषा इन्फाकॉन प्रा.लि., बी-64, शालीग्राम टॉवर, नियर सरोन पार्क, सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)-380015 द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 18.33 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 81770 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1331, 1339, 1340, ग्राम – तरनोड़, तहसील-सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 698वी बैठक दिनांक 28.12.2021 में निर्णय लिया गया :-

......उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा 518वी बैठक दिनांक 08.10.2021 में मांगी की जानकारी को परियोजना प्रस्तावक द्वारा काफी लम्बे समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण को Delist किया जाये व परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 20.02.2022 के माध्यम से SEAC द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को Relist करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

27. प्रकरण क्र. 8849/2021: परियोजना प्रस्तावक श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में निर्णय लिया गया :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण. में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2200/डीईआईएए/17 दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।*

II. *श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।*

III. *डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2200/डीईआईएए/17 दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 2077/खनिज/2018 दिनांक 27.09.2018 (वैधता 08.05.2024 तक) की प्रति।*

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 27.09.2018 के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन 03 वर्ष के बाद विलम्ब से क्यों किया गया का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं इस दौरान उक्त खनिज पट्टे में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है का सत्यापन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18.02.2022 के माध्यम से **SEIAA** द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई एवं प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **परियोनजा प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में** पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 2200/डीईआईएए/17 दिनांक 13.12.2017 के माध्यम से श्री अजब सिहं आत्मज श्री हरि नारायण सिहं, निवासी ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 509 ग्राम बपाचादौनिया, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज श्री करण सिंह, ग्राम अरनियारम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.12.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. प्रकरण क्र. 8720/2021: परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज अग्रवाल, निवासी— नियर किडजी स्कूल, इन्द्रपुरी कॉलोनी, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 236/1, ग्राम श्रीनगर भाटा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 693वी बैठक दिनांक 25.11.2021 में निर्णय लिया गया :–

*The case was recommended for ToR in 522nd SEAC meeting dated 27.10.2021. **After detailed discussion, it was observed that signature of Project Proponent is different in Consent letter from the applicant of Mine Plan and rest all document submitted by PP. Hence, committee decided to write a letter to Directorate, Geology & Mining for verification of signature of PP in consent letter from the applicant in Mining Plan. Copy to PP.***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से हस्ताक्षर सत्यापन के संबंध में शपथ पत्र एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्र. 545 दिनांक 23.02.2022 प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552 वी बैठक दिनांक 27.10.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 9031/2022: परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन कुमार वर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी ग्राम धोन्ती, पोस्ट बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8050 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, ग्राम करामी, तहसील मढ़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्री शिवम द्विवेदी, मैन रोड़, देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8050 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, ग्राम करामी, तहसील मढ़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की श्री नितिन कुमार वर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी ग्राम धोन्ती, पोस्ट बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 13/डिया/पर्या./18 दिनांक 09.01.2018 के माध्यम से श्री नितिन वर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी– ग्राम ढोंटी, पोस्ट वैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन वर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी– ग्राम ढोंटी, पोस्ट वैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पार्टनर श्री शिवम द्विवेदी, निवासी–मेन रोड़ देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पार्टनर श्री शिवम द्विवेदी, निवासी–मेन रोड़ देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 13/डिया/पर्या./18 दिनांक 09.01.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना दिनांक 12.01.2022 की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 91/खनिज/उ.प./हस्ता./2020 दिनांक 06.01.2021 (वैधता 15.02.2028 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 13/डिया/पर्या./18 दिनांक 09.01.2018 के माध्यम से श्री नितिन कुमार वर्मा आत्मज श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी ग्राम धोन्ती, पोस्ट बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8050 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, ग्राम करामी, तहसील मढ़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्री शिवम द्विवेदी, मैन रोड, देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09.01.2018 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

30. **प्रकरण क्र. 8872/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विजय कुमार जाधव, निवासी– 03, निराला नगर, भदभदा नाका, जिला रतलाम (म.प्र.) – 457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 292, ग्राम जमथुन, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 703वी बैठक दिनांक 30.01.2022 में निर्णय लिया गया :–

SEAC की 540वी बैठक दिनांक 08.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम मानव बसाहट 177/250 मीटर, समीपस्थ प्राकृतिक नाला, पक्का रोड़ 110 मीटर एवं कच्चा रोड़ 175 मीटर पर स्थित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।*

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 30.01.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

31. **प्रकरण क्र. 8810/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री निशांत जायसवाल आत्मज श्री अरविंद जायसवाल, निवासी– भिकनगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) –451332 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 152/1, ग्राम – मोहद, तहसील–झिरनिया, जिला –खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 706वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **की 698 वी बैठक दिनांक 28.12.2021 के निर्णयानुसार एवं** SEAC की 531वीं बैठक दिनांक 06.12.2021 तथा 545 वी बैठक दिनांक 29.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के एकल प्रमाण पत्र क्र 2177 दिनांक 17.09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, सड़क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, चिकित्सालय इत्यादि नहीं होना बताया गया है एवं 150 मीटर पर नदी होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 15.02.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 8806/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन, निवासी–303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड हाईकोर्ट लेन, ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क. 1244, ग्राम उराहना , तहसील – बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 702वी बैठक दिनांक 28.01.2022 में निर्णय लिया गया :–

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 02 बांध संरचना होना परिलक्षित है। *माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खनन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 28.01.2022 में लिया गया निर्णय यथावत रखा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 6662/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री ओमप्रकाश यादव आत्मज श्री भगवान प्रसाद यादव, निवासी– ग्राम पिपरा, तहसील उन्छेरा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2970 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.759 हेक्टेयर, खसरा क. 132/1क2, ग्राम पिपरा, तहसील – उन्छेरा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 693वी बैठक दिनांक 25.11.2021 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

The case was discussed in 681st SEIAA meeting dated 04.08.2021 and it was recorded that ....

The EC was granted in 588th SEIAA meeting dtd 12.12.2019 and EC issued to PP vide Letter No. 3824 dated 07.01.2020.

Shri Gorelal Tamrakar has complaint and submitted with all supporting documents against the decision of SEIAA vide application dated 18-03-2020 for review as the Case No. STA/16/36 has been rejected by DEIAA vide letter No.2869/Khanij/2017 dated 26.09.17 due to the objection raised by Forest Dept, Satna vide their letter No 6345 dtd 01.08.2016 stating that the forest route has been utilized for transportation.

DFO, Satna vide their letter No 1284 dtd 01.02.2020 has requested SEIAA to revoke the EC issued to Shri Omprakash Yadav for the Khasra No 132/1 ka / 1 area 1.759 ha Village Pipra, Tehsil Unchehra, District Satna.

After reviewing the documents submitted by Shri Gorelal Tamrakar it appears that Shri Omprakash Yadav has submitted false NOC of DFO, Satna vide their letter No 1111 dtd 04.06.2016, which is a gross violation of regulatory ethics and attract the following provisions of EIA notification 2006, Para "8" (vi):

"Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice."

After detailed discussion, it is decided that the prior EC issued to PP vide letter no. 3824-25/SEIAA/20 dated 07.01.2020 to Shri Omprakash Yadav for Khasra No 132/1 ka / 1 area 1.759 ha Village Pipra, Tehsil Unchehra, District Satna shall be kept in abeyance. PP may be called for clarification in the next meeting of SEIAA.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

PP vide letter dated 27.10.21 has requested to remove the abeyance on prior environmental clearance issue to him, and also requested to grant permission to operate the mine.

After detailed discussion, it is decided to call PP for submission of false information in the name of DFO, Satna and factual status of the earlier EC issued by DEIAA, Satna. It is also decided to call DFO, Satna for presenting all NOCs provided by DFO Office, Satna in the forthcoming meeting of SEIAA.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 2824 दिनांक 07.01.2020 को निरस्त (Revoke) किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्ते:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonatoत) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अंनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष